

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमांक- 4282 / 280 / आउशि / बजट / 2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28 | 12 | 2017

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
(नीचे दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश

विषय- योजना क्रमांक 3446 एवं 6061-खेलकूद प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट आबंटन।

उपरोक्त विषय में योजना क्रमांक 3446 एवं 6061- खेलकूद प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को उनके नाम के समक्ष अंकित अनुसार बजट आबंटन जारी किया जाता है :-

S. No.	Name of College	Place	District	Letter No. and Date	Allotment Amount	Scheme No.
1	Govt College	Timarni	Harda	744/4.7.17	150000	3446
2	Govt College	Pipliyaman di	Mandsaur	584/20.12.17	150000	3446
3	Govt Thakur Niranjan Singh College	Gotegaon	Narsinghpur	722/16.4.17	200000	3446
4	Govt Girls College	Sehore	Sehore	1544/19.12.17	200000	3446
5	Govt P G College	Seoni	Seoni	1889/9.12.17	200000	3446
6	Govt Law College	Seoni	Seoni	638/7.12.17	200000	3446
7	Govt College	Polay Kala	Shajapur	419/15.12.17	200000	3446
8	Govt College	Malajkhand	Balaghat	104/18.12.17	200000	3446
9	Govt Kamla Nehru Arts College	Balaghat	Balaghat	137/9.12.17	200000	6061
10	Govt. Girls College	Jhabua	Jhabua	191/14.12.17	150000	6061
11	Govt P G College	Khargoan	Khargoan	2901/14.12.17	200000	6061
12	Govt. College	Sihora	Jabalpur	1219/7.12.17	200000	6061
	Total				22,50,000	

(2) उपरोक्त राशि का आबंटन मांग के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध बजट के आधार पर अनुपातिक रूप से किया गया है।

(3) उपरोक्त आंबटित राशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2017-18 अन्तर्गत महाविद्यालय के नाम के समक्ष अंकित योजना में निम्नलिखित बजट शीर्ष में विकलनीय होगा :-

योजना	बजट शीर्ष
3446-महाविद्यालयों में खेलकूद प्रोत्साहन	44-2202-03-102-0101-3446-42-007
6061-सरकारी महाविद्यालयों में खेलकूद विकास	44-2202-03-103-8888-6061-63-001

(3) व्यय करने के पूर्व समय-समय पर मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं अद्यतन भण्डार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(4) सामग्री कय एवं राशि के व्यय/भुगतान करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं म.प्र. भण्डार कय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(5) सामग्री का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत, अद्यतन म0प्र0 भण्डार कय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(7) कय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का का पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये।

(8) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।

(9) किसी भी स्थिति में आंबटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।

(10) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।

“आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”

अपर संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक- 28/12/2017

पृ0क0- 4283/280/बजट/2017
प्रतिलिपि-

- 1 विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
- 2 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- 3 अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
- 4 समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
- 5 राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना मंत्रालय भोपाल।
- 6 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
- 7 समस्त संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश